अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2020 (GCMS 2020/00037) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर 08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 18.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. **कोषाधिकारी का पत्रांक 438 दिनांक 03.12.19 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रार्थी के लगभग 500 आवेदन।**
2. **500 अपीलों को माननीय सूचना आयोग द्वारा खारिज किये गये निर्णय श्री प्रमाणित प्रति लिपियो का अवलोकन करना है।**
3. **प्रार्थी के आदतन आवेदन जो प्रस्तुत किये गये है उन आदतन आवेदनो की सूची का अवलोकन करना है।**

नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/104/2019/1185 दिनांक 18.12.2019 से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्हें

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्थानान्तरित कर दिया और जिला कोषाधिकारी , श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1077 दिनांक 28.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री राधेश्याम गोयल द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गई है :

जिला कलक्टर, कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से संबंधित सूचना कोषाधिकारी का पत्रांक 438 निांक 03.12.2019 से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रार्थी के लगभग 500 आवेदन 500 अपीलों को माननीय सूचना आयोग द्वारा खारिज किये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करना है ।

प्रार्थी के आदतन आवेदन जो प्रस्तुत किये गये है उन आदतन आवेदनों की सूची अवलोकन करना है।

प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना के संबंध में :

उक्त सूचना के संबंध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अनवेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करनो या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। यदि प्रार्थी चाहे तो इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षरण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर क्रमांक 112 दिनांक 13.01.2020 द्वारा सूचना भिजवाई गई है।

जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2019 का जवाब जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके आवेदन दिनांक 18.12.2019 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो उत्तर इस कार्यालय को दिया गया है, की प्रति अपीलार्थी को भी 30 दिवस में दी जानी आवश्यक है, जो उनके द्वारा दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त सूचना की प्रति अपीलार्थी को भी दी जावे। **आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर